न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः–हनुमानसिंह राठौड, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 102/2018

प्रार्थीः–

1. दौलतसिह पुत्र उगमसिह जाति राजपूत निवासी प्लाट सख्या 515 मोहननगर बी.जे. एस. कॉलोनी जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीः–

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम</u>

आदेश दिनांकः– 19 फरवरी 2020

उपस्थितिः– श्री नाहरसिह सोलकी अधिवक्ता प्रार्थी।

सरकारी पैरोकार अनु.

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम सिरीयादेगांव तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 69 में रकबा 01 बीघा भूमि खरीद की जो जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 4.6.1993 के द्वारा खरीद की जिसका नामान्तरकरण सख्या 400 के द्वारा राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हुआ जिसमें गलती से स्वरूपकंवर नाम लिख दिया गया। जबकी रेकॉर्ड में रूपकंवर लिखा जाना चाहिये था क्योकि रजिस्टर्ड बेचाननामा मे रूपकंवर लिखा हुआ है और समस्त दस्तावेजात में रूपकंवर ही अकित है ऐसी स्थिति राजस्व /म्युटेशन दर्ज करते समय भूलवंश स्वरूपकंवर लिखा गया जो गलत है स्वरूपकंवर के स्थान पर रूपकंवर दर्ज किया जावे।

ग्राम सिरियादेगांव (नान्दडा कला) के खसरा नम्बर 69/मीन 16 बीघा 01 बीघा भूमि में भूलवंश स्वरूपकंवर दर्ज कर दिया गया जिसे संशोधित करके रूपकंवर दर्ज किया जावे । जिसमें अप्रार्थी राजस्थान सरकार को कोई हानि नही होगी ।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिरीयादेगांव पटवार हल्का नान्दडा कला तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 69/मीन 16 रकबा 01 बीघा में स्वरूपकंवर के स्थान पर रूपकंवर राजस्व रेंकर्ड में दर्ज कर शुद्वीकरण किया जावे।

Scanned by CamScanner

तहसीलदार जोधपुर अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें बताया कि ग्राम श्रीयादे गावं की वर्तमान जमाबदी 2074–2077 के खाता सख्या 253 खसरा नम्बर 69/24 व पुरानी जमाबंदी में खसरा नम्बर 69/मीन 6 रकबा 01 बीघा में स्वरूपकंवर पत्नी दौलतसिह 1/2 व जगतसिह पि. दौलतसिह 1/2 जाति राजपूत निवासी बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर के नाम खातेदारी में दर्ज है । बिन्दु सख्या 2 , 3 स्वयं सिद्व करे एवं बिन्दु सख्या 4,5 कानूनी है।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में ग्राम सिरीयादेवगांव पटवार क्षेत्र नान्दडा कला तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 69/मीन 16 रकबा 01 बीघा में स्वरूपकंवर के स्थान पर रूपकंवर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर शुद्वीकरण किया जावे।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात् एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गयी बहस का अध्ययन कर विचार किया गया। ग्राम सिरीयादेगांव पटवार हल्का नान्दडा कला तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 69/मीन 16 रकबा 01 बीघा में स्वरूपकंवर के स्थान पर रूपकंवर राजस्व रेंकर्ड में दर्ज कर शुद्वीकरण का नाम दर्ज है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र में रूपकंवर पत्नी दौलतसिह शेखावत दर्ज है। अप्रार्थी की ओर से इस बावत् शुद्धि किये जाने के सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिरीयादेवगांव पटवार क्षेत्र नान्दडा कला तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 69/मीन 16 रकबा 01 बीघा में भूमि में स्वरूपकंवर के स्थान पर रूपकंवर राजस्व रेकर्ड में शुद्धि कर अंकन किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.02.24 17:49:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: